

संस्था की समकक्ष व्यावसायिक अर्हता धारित करता हो। **नोटः—** समकक्ष अर्हता: वास्तुविद् अधिनियम—1972 की धारा—14 की अनुसूची के अनुसार विहित है। (ब) अधिमानी अर्हताएँ:— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **नोटः—** शासन द्वारा जारी कार्यालय—ज्ञाप संख्या—5/2022/18/1/2008/47/ का—2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु—5 (अनारक्षित रिकितयों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थीयों में एच०एच०, ओ०एल०, बी०एल०, डी०डब्ल्य०, ए०ए०वी० उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे। **पद की संगत सेवा नियमावली** - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग वास्तुविद् सेवा नियमावली, 1992	• उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग वास्तुविद् सेवा नियमावली, 1990 **उत्तर प्रदेश कार्यालय नियमावली** पद का नाम: रीडर (उपाचार्य), रिकितयों की संख्या—36 विशिष्टतावार रिकितयों की संख्या निम्नवत है:—	क्र०सं०	रीडर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या		---------	------------------------------	---	--------------		1.	कायदिकित्सा	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अ०पि०वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/02		2.	कौमारभृत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/03		3.	रचना शारीर	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/04		4.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/05		5.	द्रव्यगुण	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/06		6.	अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद	कुल पद 02 लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/07		7.	रोग निदान	कुल पद 04 लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/08		8.	स्वास्थ्यवृत्त	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/09		9.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/10		10.	शल्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/11		11.	शालाक्य तंत्र	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/12		12.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/13	**पद का स्वरूप—** समूह—'क', राजपत्रित, वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल—11 (रु 67700—208700), आयु सीमा— न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) **शैक्षिक अर्हताएँ:—** (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:— (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विशेषितालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य / बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी:— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **नोटः—** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक / यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार / निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोटः—** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक / यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार / निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोटः—** शासन द्वारा जारी कार्यालय—ज्ञाप संख्या—5/2022/18/1/2008/47/ का—2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु—5 (अनारक्षित रिकितयों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थीयों में ऑ०ए०, ओ०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्य०, ए०ए०वी० उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे। **पद की संगत सेवा नियमावलीयाँ**	• उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग वास्तुविद् सेवा नियमावली, 1990 • उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग वास्तुविद् सेवा नियमावली, 1992 **उत्तर प्रदेश कार्यालय नियमावली** पद का नाम: रीडर (आयुर्वेद), रिकितयों की संख्या—19 विशिष्टतावार रिकितयों की संख्या निम्नवत है:—	क्र०सं०	प्रोफेसर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या		---------	------------------------------	---	--------------		1.	कौमारभृत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/14		2.	रचना शारीर	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/15		3.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण— अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/16		4.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/17		5.	शल्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/18		6.	शालाक्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-02, अनु०जाति-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/19		7.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित-01, अनु०जाति-01, अ०पि०वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण — कोई रिकित नहीं।	एस—9/20	**पद का स्वरूप—** समूह—'क', राजपत्रित, वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल—12 (रु 78800—209200), आयु सीमा— न्यूनतम 30 वर्ष, उच्चतम 50 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) **शैक्षिक अर्हताएँ:—** (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:— (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विशेषितालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य / बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी:— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँ:— ऐसे अभ्यर्थी जिसने— 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **नोटः—** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक / यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार / निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोटः—** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक / यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार / निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **नोटः—** शासन द्वारा जारी कार्यालय—ज्ञाप संख्या—5/2022/18/1/2008/47/ का—2/2

विज्ञान, विधि शास्त्र तथा विज्ञान, शल्य क्रिया विज्ञान, स्त्री एवं प्रसूति
रोग तथा सामुदायिक औषधि। क – अनिवार्य अर्हताएः- होम्योपैथी में न्यायालय अर्हता सहित सम्बन्धित विषय में सहायक आचार्य/ प्राध्यापक के रूप में डिग्री स्तरीय किसी होम्योपैथी महाविद्यालय में चार वर्ष का शिक्षण अनुभव। उक्त अर्हता वही होगी, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्भिलित हो। ख – अधिमानी अर्हता: (एक) मौलिक अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन। (दो) सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसंधान संस्था में अनुसंधान का अनुभव।

नोट- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (यूनानी/ होम्योपैथी) विकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/ निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। सहायक आचार्य/ प्राध्यापक का मौलिक विभाग में नियुक्ति के समय का ही अनुभव मान्य होगा।

नोट- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अर्थात् विकित्सा विद्यालय अथवा राज्य के पदों के लिए अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षित होना चाहिए।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य होम्योपैथिक विकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990
- उत्तर प्रदेश राज्य होम्योपैथिक विकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017

उ0प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग

पद का नाम— प्रोफेसर (आचार्य), रिक्तियों की संख्या— 03

विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत है:-

क्र0सं0	प्रोफेसर (स्पेशियलिस्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या
1.	निस्वॉ व कबालत	कुल पद 01, लम्बवत आरक्षण— अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण — कोई रिक्त नहीं	सेवा-11/10
2.	इल्मुल अतफाल	कुल पद 01, लम्बवत आरक्षण— अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण — कोई रिक्त नहीं	सेवा-11/11
3.	तशरीहुल बदन	कुल पद 01, लम्बवत आरक्षण— अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण — कोई रिक्त नहीं	सेवा-11/12

पद का स्वरूप— समूह— 'क' राजपत्रित, वेतनमान— वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु 78800— 209200/-), आयु सीमा— न्यूनतम 30 वर्ष, उच्चतम 50 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)। **शैक्षिक अर्हताएः-** (अ) अनिवार्य अर्हताएः- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय विकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/ बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय विकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने याये हैं, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) संबंधित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाधियां के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी- 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएः- ऐसे अर्थात् जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (यूनानी/ होम्योपैथी) विकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/ निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।

नोट- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अर्थात् विकित्सा विद्यालय अथवा राज्य के पदों के लिए अधिमान उपश्रेणी के अर्थात् ही उक्त पद हेतु पात्र होंगे।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008.

उ0प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग

पद का नाम— प्राध्यापक अरबी, विभाग संख्या— सेवा-11/13, कुल रिक्तियों की संख्या- 01, आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या- लम्बवत आरक्षण— अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण — कोई रिक्त नहीं। पद का स्वरूप— समूह— 'ख' राजपत्रित, वेतनमान— लेवल-10 वेतनबैंड- 56100-177500/- आयु सीमा— 25 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है)। **शैक्षिक अर्हताएः-** (अ) अनिवार्य अर्हताएः- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय विकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/ बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय विकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने याये हैं, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) संबंधित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाधियां के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी- 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएः- ऐसे अर्थात् जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (यूनानी/ होम्योपैथी) विकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/ निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।

नोट- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानात्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अर्थात् विकित्सा विद्यालय अथवा राज्य के पदों के लिए अधिमान उपश्रेणी के अर्थात् ही उक्त पद हेतु पात्र होंगे।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008.

उ0प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग

पद का नाम— प्राध्यापक अरबी, विभाग संख्या— सेवा-11/13, कुल रिक्तियों की संख्या- 01, आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या- लम्बवत आरक्षण— अनारक्षित-01, क्षेत्रिज आरक्षण — कोई रिक्त नहीं। पद का स्वरूप— समूह— 'ख' राजपत्रित, वेतनमान— लेवल-10 वेतनबैंड- 56100-177500/- आयु सीमा— 25 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है)। **शैक्षिक अर्हताएः-** (अ) अनिवार्य अर्हताएः- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय विकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/ बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रांत भारतीय विकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने याये हैं, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) संबंधित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के संबंध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाधियां के पद पर 03 वर्ष का अनुभव समिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानी- 1. अरबी में पी०एच०डी०। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएः- ऐसे अर्थात् जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रम

on "Submit" button to finally push data into server with successful submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS

:- All Notifications / Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

:- Candidate Registration

:- Fee Deposition / Reconciliation

:- Submit Application Form

:- Modify Submitted Application

:- Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

:- Double Verification mode

:- View Application Status

:- Download Admit Card

:- Print Duplicate Registration Slip

:- Print Detailed Application Form

:- List of Applications Having ANY Objections

:- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिषिष्ठ-1

उम्रो की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय- समय पर सशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य बैठन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी ।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप- I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उम्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उम्रो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्राता धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संरख्यान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।

श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ।

(प्रारूप- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम:

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिस्मृति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए याचन्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी प्रमाण पत्र संख्या..... ग्राम / कस्ता पोर्ट ऑफिस

थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड

के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ़ नीचे, अभिप्राप्ति है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्थानिक में नियमित में से कोई भी परिस्मृति नहीं है—

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी जाति के

सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साइज़ का अभिप्राप्ति फोटोग्राफ़

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम
पदनाम
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

(प्रारूप- II)

**आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषण पत्र
स्वयं घोषण पत्र**

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी ग्राम / कस्ता पोर्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ।
1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वैतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिस्मृति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर रित परिस्मृतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दायरे में आता / आती हूँ।
4. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिस्मृतियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

नोट- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :- आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

**Form-II
Certificate of Disability**

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

locomotor disability

dwarfism

blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her _____

(in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
(Dr.....) Member with seal	(Dr.....) Member with seal	(Dr.....) Chairperson with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

|
<td style="text-align:
| |

<p style="text-align: center;">the Certificate)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability</p> </div>	<p style="text-align: center;">भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संख्या का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। </p> <p style="text-align: center;">प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p style="text-align: center;">सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (दूर्भास्त स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/ खेल— कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। </p> <p style="text-align: center;">प्रारूप - 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p style="text-align: center;">विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। </p> <p style="text-align: center;">प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p style="text-align: center;">डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री निवास (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/ खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ दूर्भास्त में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/ या अतिरिक्त/ संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा। </p> <p style="text-align: center;">पुरिशिष्ट-2 प्रशासनिक सुधार विभाग, उठप्र० के अन्तर्गत निरीक्षक—राजकीय कार्यालय पद हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप। अनुभव प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र/पुत्री/ पत्नी वर्तमान पदनाम कार्यालय में दिनांक से आज दिनांक तक वर्षों से निरन्तर शासकीय सेवा में मौलिक रूप से कार्यरत हैं। दिनांक से दिनांक तक इनके द्वारा धारित पद एवं सेवा विशुद्ध रूप से राजकीय एवं लिपिकीय है। श्री कार्यालय के मौलिक एवं स्थायी कर्मचारी हैं तथा वर्तमान वेतन मैट्रिक्स लेवल वेतनमान पर कार्यरत हैं। सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर। (पदनाम मुहर सहित) </p>	
<p>Name and Seal of Member</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</p> </div> <p>Name and Seal of Member</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</p> </div> <p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अधिकारी और भूतपूर्व सेनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अधिकारी के प्रमाण-पत्र का प्राप्त।</p> <p style="text-align: center;">प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती निवासी ग्राम— नगर— जिला— उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अधिकारी और भूतपूर्व सेनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आधिकारी) पुत्र/पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्री या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्री की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपराकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधिकारों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के अधिकारी हैं।</p> <p>स्थान: हस्ताक्षर दिनांक: पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी (सील)</p> <p>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के कार्म- 1 से 4 प्रारूप - 1</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/ खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में</p>		